न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—220/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00403)

1. गोपाल दत्तक पुत्र मांगू माली निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जसवन्त पुत्र गोविन्द नारायण, जाति माली, निवासी ग्राम हाथनोदा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 10.12.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर के आदेश दिनांक 10.05.2017 (प्रकरण संख्या 12/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम विजयसिंहपुरा तहसील चौंमू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 672 रकबा 0.32 हैक्टयर के 1/2 भाग का तथाकथित विक्रय पत्र जसवन्त सैनी पुत्र गोविन्द नारायण सैनी के द्वारा करवाकर दिनांक 26.02.2001 को विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2001 का नामान्तरकरण संख्या 55 तस्दीक किया गया तथा खातेदार हरी पुत्र गोपी जाति जांगिड, ब्राहाम्ण से 1/4 हिस्सा दिनांक 08.09.2003 को क्रय किया गया, उक्त भूमि के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर के अपीलान्ट द्वारा एक वाद संख्या 82/01 बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का गोपाल बनाम जगदीश पेश किया गया जो दिनांक 31.03.2009 का अपीलान्ट के पक्ष में डिक्री कर दिया गया जिसके पश्चात् दिनांक 07.06.2011 को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा निणर्य व डिक्री दिनांक 31.03.2009 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई जो दिनांक 23.05.2016 को खारिज फरमा दी गई, एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.06.2011 की अनुपालना में मूल वाद उपखण्ड अधिकारी चौमू की सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया जो दिनांक 03.05.2012 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया, अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमू के पुनः बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित है एवं पत्रावली वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है अपीलान्ट के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी चौंमू द्वारा पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 31.03.2009 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 22.07.2009 को स्वीकार किया गया था जो अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 19.07.2010 के द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

द्वारा दिनांक 14.06.2006 को नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर पुनः जांच हेतु प्रेषित किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्षकारों को विधिवत नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपखण्ड अधिकारी चौमू द्वारा पारित स्थगन आदेश की प्रति पेश की तथा पत्रावली अन्य तलबी हेतु नियत की गई, उसके बाद पत्रावली दिनांक 10.05.2017 को न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में पेश हुई जिसमें अपीलान्ट स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त भूमि के बाबत न्यायालय में विचाराधीन है तथा उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष एक वाद कैलाश बनाम काल्या विचाराधीन है, इस कारण नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जावें उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.17 को विधि विरूद्ध तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के बाबत न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में नियत नहीं किया गया था तथा तहसीलदार द्वारा न्यायालय तहसील चौमू में किसी भी प्रकार की कोई लोक अदालत हेतु नही लगायी गयी उसके उपरान्त भी तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से यह कार्यवाही की है, जो विधि विरूद्ध एवं विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि न्यायालय में आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.05.17 को आगामी पेशी दिनांक 10.05.17 तहसील कार्यालय में उपस्थित होने के लिऐ दी गई थी तथा न ही तहसीलदार चौमू द्वारा अन्य प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये है, अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सम्पूण कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि विवादित आराजीयात जागीर के समय से पूर्व ही अपीलान्ट व अपीलान्ट के पूर्वजों के कब्जे काश्त में रही है जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरियों में किया गया है इस प्रकार एक नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय परित किया है निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौमू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि खातेदार गोकूल पुत्र स्व. नारायण जाति जांगिड ब्राहाम्ण (खाती) निवासी ग्राम विजयसिंहपुरा से आराजी खसरा नम्बर 672 रकबा 0.32 हैक्टयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2001 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा मुताबिक विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 26.02.2001 को खोला जाकर जमाबन्दी में अमल हो चुका है तथा खातेदार हरि पुत्र स्व. गोपी जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम विजसिंहपुरा तहसील चौमू से खसरा नम्बर 672 रकबा 0.32 हैक्टयर का हिस्सा 1/4 भाग जरिये विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2003 को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन उक्त विक्रय पत्र का रेस्पोडेन्ट के नाम से नामान्तरकरण नही खोला गया था। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू मे एक वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध पेश किया गया जो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी तब उक्त वाद पत्र को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2009 को हो चुका थी जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष उक्त निर्णय की अपील पेश की जिसका निर्णय दिनांक 07.06.2011 को हो चुका है तथा उक्त निर्णय की विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र भी पेश किया जो सुनवाई कर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 09.01.2012 को खारिज फरमा दिया गया तथा उक्त निर्णय दिनांक 07.06.2011 के विरूद्ध रिविजन राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई वह भी दिनांक 23.05.2016 को खारिज फरमा दी गई एवं मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को पुनः सुनवाई हेतु भिजवायी गई जो भी दिनांक 03.05.2012 को खारिज फरमा दी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 22.07.2009 के विरूद्ध एक अपील संख्या 155/09 पेश की गई जो निर्णय दिनांक 19.07.2010 द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 22.07.2009 को निरस्त किया गया है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभिन्न न्यायालयो के समस्त निर्णय की प्रतिलिपियॉ एवं जमाबन्दी पेश कर नामान्तरकरण संख्या 55 दिनाक 26.12.2001 को स्वीकार किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की गलती नही की गई। अतः अपील अपीलाट निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 672 रकबा 0.32 हैक्टयर के हिस्सा 1/4 के खातेदार हरि पुत्र गोपी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2003 द्वारा क्रय किया गया है एवं अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये जिससे उक्त विक्रय पत्र किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो जिससे जाहिर होता है कि उक्त विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलन में है तथा अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे अपीलाधीन आदेश पारित करते समय वादग्रस्त अराजी बाबत किसी भी न्यायालय का स्थगनादि प्रभावी रहा है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरेक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायायल तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।